AGPE THE ROYAL GONDWANA RESEARCH JOURNAL
OF HISTORY, SCIENCE, ECONOMIC, POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE
ISSN (E): 2583-1348 | A Peer reviewed | Open Accsess & Indexed
Volume 03 | Issue 06 | July 2022| *www.agpegondwanajournal.co.in* | Page No. 31-35

डॉ. भीमराव अम्बेडकर और सामाजिक न्यायः एक विश्लेषण

डॉ. रेखा जोशी
पूर्व प्राचार्या,
भारती विद्यापीठ महाविद्यालय, राजलदेसर, राजस्थान

सारांश:

डॉ .भीमराव अम्बेडकर "दया धर्म का मूल" सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे, क्योकि "दया" में दूसरो को दयनीय और दया का पात्र बना देने का एक बड़ा दोष भी है। दुःखी मनुष्य का दुःख दूर करना पुण्य का परिचायक है किन्तु उसे दया का पात्र बना देना महापाप है। दया का पात्र बनते ही मनुष्य हीन भावना से भर उठता है। इसी दया धर्म की हीन भावना ने समाज में दलित- शोषित पीड़ित मनुष्य को समाज, समुदाय को अलग-थलग किया है किन्तु आज भी दया धर्म वाले करूणा,ममता,समता के दर्शन को नहीं समझ सके है और व्यवस्था में विसमता असमानता के विष ने भारतीयता और सामाजिकता को रक्त रंजित कर दिया है ।इसी का परिणाम द्वेष,अस्पृष्यता,असमानता,अराजकता और अलगाववाद है जिसने सामाजिकता की हत्या का जघन्य अपराध किया है और व्यवस्था मे विषमता असमानता के विष ने भारतीयता और सामाजिकता को रक्त रंजित कर दिया है जो सदियों से सामाजिक व्यवस्था के अभिन्न अंग बने हुए है। आत्मोद्धार और अछूतोद्धार के अनवरत प्रयासो पर्यन्त ही भारत और अंहिसा परमोधर्म के सिद्वांतो को आत्मसात कर सकता "सत्यमेव जयतें" है।

मुख्य शब्द: अस्पृष्यता,असमानता, आत्मोद्धार और अछूतोद्धार, सामाजिक न्याय, समता ,जाति-पाति, छुआ-छूत और ऊंच-नीच, शोषित पीड़ित , दलित समाज, शूद्र, अछूत वर्ग।

प्रस्तावना:

डॉभीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के संविधान शिल्पी थे। वे सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे। उनका . साहित्यका ,अर्थशास्त्री ,राजनीतिज्ञ ,व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे एक प्रसिद्व विधिवेतार , क्रांतिकारी ,समाजशास्त्री ,पत्रकार , ,पाति-लेखक चिंतक तथा ओजस्वी वक्ता के रूप में दलितो और पिछड़े वर्ग के मसीहा थे । डॉ अम्बेडकर ने जीवन भर जाति नीच के विरूद्ध घोर संघर्ष किया है। उन्होंने शोषित पीड़ित और दलित समाज के प्रति होने वाले -छुत और ऊंच-छुआ सामाजिक अत्याचार और प्रताड़नाओं को हिन्दु धर्म की धार्मिक व्यवस्थाओं से खोजा है। धर्म को वे व्यापक बनाना चाहते थे।

CORRESPONDING AUTHOR:	REVIEW ARTICLE
Dr. Rekha Joshi Former Principal Bharti Vidyapeeth Mahavidyalaya, Rajaldesar, Rajasthan Email: pjoshi.pjoshi@gmail.com	

डॉ. अम्बेडकर का कथन है "धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नही" । वे धर्म के महत्व को भलीभांति जानते ही नहीं थे अपितु मानते भी थे। धर्म को वे सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित बनाना चाहते थे इसलिए उन्होने हिन्दु धर्म के प्रति आक्रामक रूख अपनाया। उन्होंने "रिडल्स इन हिन्दुइज्म" नामक पुस्तक में हिन्दु धर्म शास्त्रो और महापुरूषो के बारे में तीखी आलोचना की । डॉ. अम्बेडकर यह कभी नही चाहते थे कि हिन्दु समाज का विघटन हो । उनका मत था कि अछूतो को हिन्दू धर्म का ही अभिन्न अंग समझा जाए साथ ही उनके साथ अस्पृष्यता का व्यवहार नहीं किया जाए।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक शूद्र परिवार से उत्पन्न होने के कारण तिरस्कृत और अपमानित मानव जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूति से भली भांति परिचित थे। प्राचीन समय से चले आ रहे अनेक सामाजिक नियमों आदेषो, रीति रिवाजो, परम्पराओ एवं व्यवहार मानवता के नाम पर कलंक थे और जिनके परिणाम स्वरूप अछूत वर्ग के करोड़ो लोग नारकीय जीवन व्यतीत करने पर मजबूर थे। डॉ. अंम्बेडकर ने ऐसे नियमों के विरूद्व आवाज उठाकर अछुत वर्ग के प्रति सामाजिक अन्याय समाप्त करने के लिए सतत् प्रयास किये और अस्पृष्यों और दलितों को सामाजिक न्याय दिलाकर राष्ट्र की एकता अखण्डता की रक्षा के लिए अपना महान योगदान दिया है।

सामाजिक न्याय और समता के एक मसीहा की संघर्ष यात्रा:-

डॉ. अम्बेडकर भारतीय समाज के शोषित समाज और दलित वर्ग के सबसे सशक्त प्रवक्ता रहे है। वे जीवन पर्यन्त सभी प्रकार की सामाजिक विषमताओं के विरूद्ध लड़ते रहे है। उन्होने दलित समाज की स्वतंत्रता के लिए जेहाद छेड़ा था। दलित के उदार के लिए लड़ा गया धर्मयुद्व ही बाबा साहब की सबसे बड़ी विरासत है।

डॉ. अम्बेडकर का दलितों और शोषितों के लिए किया गया संघर्ष तीन दशको से भी ज्यादा समय तक चला। 1917 से 1930 तक डॉ. अम्बेडकर ने दलित मुक्ति के लिए व्यापक जागृति अभियान चालाया और देश वासियो को यह बताने का प्रयत्न किया कि दलित वर्गो की दशा कितनी दयनीय है और उनका जीवन कितना कष्टमय है। इस दरमियान उन्हा ंने न केवल दलितों की समस्याओ को उजागर किया बल्कि उस दमनकारी सामाजिक व्यवस्था का भी पर्दाफाश किया जिसने करोड़ों दलितों को जानवरो से भी बदतर जीवन जीने के लिए बाध्य कर रखा था।

21 जनवरी 1920 को डॉ अम्बेडकर ने "मूक नायक" नामक एक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया ।इस पत्र का उद्देश्य भारत के दलित वर्ग की समस्याओ के हल के लिए संघर्ष करना था ।

20 जुलाई 1924 को उन्होने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। इस संस्था का उद्देश्य था की दलित वर्गो में शिक्षा का प्रसार किया जाए और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाये ।

27 फरवरी 1927 को मुंबई की विधान परिषद में भाषण देते हुऐ उन्होने कहा "शासन को चाहिए की वह दलितो की हर तरह से सहायता करे।" अछूतो को समाज में स्वर्णों के समान सामाजिक आर्थिक अधिकार मिले और उन्हें तालाबो, कुओं, और नलों से निर्बाध रूप से पानी भरने दिया जाये तथा इसमें उनके व स्वर्णो के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाये।

अप्रेल 1927 को "बहिष्कृत भारत" नामक समाचार पत्र शुरू किया। इस पत्र में उन्होंने दलित वर्गो की समस्याओं को उठाया।

1930 से 1940 तक उन्होने दलितों के राजनीतिक अधिकारो के लिए संघर्ष छेड़ा। सन् 1930 में पहली गोलमेज परिषद् में डॉ. अम्बेडकर ने भारत में अस्पृश्यों की दयनीय दशा का वर्णन किया। दलित वर्गो के मूल अधिकारों का एक घोषणा पत्र तैयार किया जिसमें दलितो के धार्मिक, आर्थिक,सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारो की रक्षा की बात कही गई थी। 24 सितम्बर 1932 को पूना एक्ट पर समझोता हुआ । इस समझौते के अन्तर्गत दलित वर्ग को पहली बार राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया।

महद तालाब सत्याग्रह :-

बम्बई की सरकार ने 11 सितम्बर सन 1923 को आदेश जारी किया कि सार्वजनिक पानी के स्थान कुओं तथा धर्मशालायें जिनका निर्माण तथा व्यवस्था सरकारी धन से होता है सरकारी स्कूल, अदालतें, कार्यालय तथा अस्पताल का अछूत समाज को उपयोग करने का अधिकार देता है। किन्तु इस आदेश को अधिकतर जिला परिषदो तथा चूंगी कमेटियों ने मानने से इंकार कर दिया और अछूतों को ऐसा अधिकार नहीं दिया।

महद नगर पालिका ने महद जिले के चोबदार तालाब सभी जातियों के लोगो के लिए खोल दिया। इस कार्य से महद के स्वर्ण हिन्दु उत्तेजित हो गये। हिन्दु समाज ने डॉ. अम्बेडकर को अपना दुश्मन समझा और स्वर्ण हिन्दओं द्वारा अछुतों पर हमले आरम्भ कर दिये गये। लोगो को पीटा गया जिस पर 12 स्वर्ण हिन्दूओ पर कोर्ट में केस चला और उनको चार-चार माह की सजा हुई। डॉ. अम्बेडकर द्वारा चलाये गये महद तालाब सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप 17 मार्च 1936 को अछूतो के हित मे फैसला हुआ। दलित तलाब गये तालाब का पानी पिया और संतुष्ट हुऐ ।

कालाराम मंदिर प्रवेश -:

नासिक में कालाराम मंदिर है जो हिन्दुओं का तीर्थ स्थान है । रामनवमी के दिन यहां मेला लगता था और भगवान राम का जुलूस निकलता था। जिसमें अछुत नहीं छू सकते थे। डॉ. अम्बेडकर इस सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किये गये। हर अछूत अपना हक पाने के लिए कुर्बानी देने को तैयार थे। अछूतों की भारी भीड़ मंदिर में घुस गई और संघर्ष शुरू हो गया, अछूतो के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया लेकिन वे संघर्ष पथ पर डटे रहें। अंत 1935 में कालाराम मंदिर के दरवाजे अछूतों के लिए खुल गये।

महार वतनः-

हैरीडिटरी ऑफिसेज कानून के अनुसार महाराष्ट्र में महारों को कोई छोटी सी नोकरी दी जाती थी। वह दिन रात काम करते थे। छुट्टी लेने की दशा में वह काम करने के लिए अपने बाप भाई रिश्तेदार अथवा किसी अन्य आदमी को भेजते थे। इस कठिन सेवा के बदले वे एक छोटा सा जमीन का टुकड़े पर खेती करके अपनी आजीविका पाते थे उसे वतन कहते थे। इसके अतिरिक्त गांव के लोगों से उन्हें कुछ अनाज तथा एक डेढ रूपया तक माहवार दिया जाता था। इस वतन के कारण वे इज्जत खो चुके थे। सम्पूर्ण महार जाति का अपमान होता था।

अम्बेडकर ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए आवाज उठाई तब सरकार इसमें संशोधन करने की बात कहने लगी जिसे अम्बेडकर ने अर्थहीन बताया। उन्होने अपने लोगो से कहा कि उन्हे छोटे छोटे कार्यो में नही पड़ना चाहिए अपितु बंजर जमीन पर अधिकार करके खेती करनी चाहिए।

19 मार्च 1928 को डॉ. अम्बेडकर ने बम्बई विधान सभा में बम्बई हैरिडिटरी ऑफिसेज कानून 1874 के संशोधन के लिए एक बिल पेश किया । डॉ अम्बेडकर ने कहा कि वतन भूमि वतन दारो को निश्चित लगान पर दे दी जाये और उनसे लगान वसूल किया जाये तथा उन्हे सेवा मुक्त कर दिया जाये। वतनदारो को यह जमीने देश के राजाओं ने दी थी।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि सरकार यह तो मानती है कि खेत जोतने वाले को खेत दिया जाये किन्तु कानून के अनुसार कि ऐसा करती नहीं है । उन्होंने बताया कि वतन कानून और वतन व्यवस्था दोनो ही संविधान के विरूद्व है। अन्त में बम्बई इनकी रियर विलेज वतन एवोल्यूशन एक्ट 1959 द्वारा यह प्रथा व व्यवस्था समाप्त कर दी गयी। दुर्भाग्य से जो व्यक्ति 20 वर्ष तक इसको समाप्त कराने के लिए लड़ता रहा वह उस कानून को न देख सका। डॉ. अम्बेडकर के जीवन का हर क्षण समाज में व्याप्त कुरीतियों और असमानताओं के विरूद्व लड़ने में ही बीता।

उपसंहार:-

किसी आदमी की आत्मा महान है अथवा नही यह उसके विचार एवं कार्यो से जाना जाता है। इस दृष्टि से दलितो के मसीहाभीमराव अम्बेडकर इस पर खरे उतरते थे। .भारतीय संविधान के निर्माता डॉ ,

डॉ. भीमराव का सम्पूर्ण जीवन अभावो के बीच गुजरा था। जाति अभिमानियों के साथ टकराते हुए निर्धनता एवं विपरित परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए उन्होंने 1906 में मेट्रिक परीक्षा पास की थी । उस समय महार समाज से मैट्रिक पास करने वाले वे पहले विधार्थी थे । इसके बाद अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियो का सामना करते हुए डॉ. अंबेडकर ने एम.ए., पी.एचडी., डी.एससी, एलएलबी, एलएलडी. डी.लिट् आदि डिग्रिया हासिल की।

डॉ. अम्बेडकर को पढ़ने की लगन थी और उन्हें नयी नयी पुस्तके खरीदने का भी शौक था। उनका अपना पुस्तकालय था जिसमे कानून, फिलासॉफी, धर्म, समाजवाद, अर्थशास्त्र,राजीनीति, संविधान, कानून तथा संसदीय प्रणाली आदि की पुस्तके उपलब्ध थी । इसके अतिरिक्त उनमें महापुरूषो की जीवनियां थी।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा था - अनुसूचित, जाति, जनजाति की मुक्ति उच्च शिक्षा, ऊँची नौकरियों और अच्छे आजीविका के साधनो से ही प्राप्त हो सकती है। एक बार जब वे सामाजिक जीवन में ठीक स्थान पर पहुंच जायेगे तब उनका आदर होने लगेगा और वे सम्मान योग्य बन जायेगे।

"स्वयं सेवा ही उत्तम सेवा है" डॉ अंबेडकर का सिद्वान्त और विश्वास था। भीख मांगना, उन्हे पसंद नही था। गिड़गिड़ाने को वे घृणा की दृष्टि से देखते थे। उनका विश्वास था कि मस्तिष्क हृदय और हाथ से काम किये बिना अछूतों का भला नही हो सकता।

डॉ. अम्बेडकर एक महान देश भक्त थे। उनकी ज्ञान-पिपासा एवं लेखन वृति ने उन्हे इतना ऊँचा उठा दिया। उनकी रचनाओं, भाषाओं , कथनो, और दर्शन में भारत का ही नही बल्कि विश्व मानवता का संदेश निहित है। वह वर्तमान एवं आनेवाली पीढियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। क्योकि इसमें व्यक्तित्व और सामूहिक दोनो प्रकार के मानवाधिकारो का समावेश है, जिसकी परिधी देश सीमा को लांघ चुकी है।

डॉ. अम्बेडकर इस देश के युग परिवर्तनकारी महामानव थे। जो कुछ वह कहते थे वह तर्कसंगत होता था। डॉ अम्बेडकर की भारतीय संविधान में सबसे बड़ी देन है कि उन्होने भारत के संविधान में मानवता की बुनियाद पर भारत की जनता को वाजिब माताधिकार प्रदान किया और मानव अधिकार के मौलिक सिद्वान्तो की घोषणा की । विश्व इतिहास में सबसे बड़ी और असाधारण घटना यह है कि भारत में अनेक धर्म, सम्प्रदाय, भाषाएं है, समाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जातीय विषमतायें है फिर भी प्रत्येक व्यस्क, स्त्री -पुरूष को बिना भेदभाव के मताधिकार और निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया।

डॉ. अम्बेडकर ने सदियों पश्चात पहली बार उस वर्ग को "अधिकार" दिये जिन्हें पूर्व में केवल कर्तव्य ही दिये गये थे , अधिकार नहीं । उनके प्रयासों से उन्हें भी समान मानव अधिकार मिले।

जिस प्रकाश पुंज,जीवन ज्योति ने कई वर्षों तक लाखो लोगो का मार्गदर्शन किया ,जिसने अन्याय से पीड़ित लोगो को न्याय दिलाने में अपना पुरा जीवन सर्वस्व कर दिया। वह महा पुरूष जिसने ज्ञान के अनेकों भण्डार लोगो के लिए पैदा किये। 6 दिसम्बर 1956 को दलितों का वह मसीहा ब्रह्मलीन हो गया। करोड़ो लोगो की आशाओ का सूर्य डूब गया। लेकिन उनका

प्रकाश आज भी प्रकाशित है और दलितो, वंचितो, शोषितों के साथ सम्पूर्ण मानव जाति को नई राह दिखा रहा है ; सम्पूर्ण मानव जाति डा अंबेडकर द्वारा किये गयें कार्यो, सेवाओं के लिए सदैव और चिरकाल तक ऋणी रहेगी ।

सन्दर्भ ग्रंथ-

1. भारत सपूत डॉ. भीमराव अम्बेडकर - अशोक मोडक
2. दी पालिटिकलन आइडियास ऑफ बी.आर. अम्बेडकर - डॉ. ए. एम. राजेश रवरिया
3. भारत रत्न डॉ बी.आर. अम्बेडकर- बी.एम.मेघवाल
4. प्रखर राष्ट्र भक्त डॉ. भीमराव अम्बेडकर- चन्द्र शेखर भंडारी
5. डॉ अम्बेडकर का जीवन और व्यक्तित्व - जग जीवन राम
6. युग पुरूष बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर संघर्ष गाथा- हिमांशु राव
7. भारतीय दलितों की समस्या एवं समाधान -डॉ. आर. जी. सिंह
8. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक विचार- डॉ. रामगोपाल सिंह
9. भीमराव रामजी अम्बेडकर स्टडी इन शोसल डेमाक्रेसी- जी. एस. लोवाण्डे
10. डा.बी.आर. अम्बेडकर का राजनीतिक दर्शन -डॉ. डी.आर. जाटव

■ ■ ■